रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13102023-249374
CG-MH-E-13102023-249374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945
No. 697] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(मानव संसाधन विकास विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 1 सितम्बर, 2023

एफ. स. 395 (ई).—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) का खंड (एफ) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद एवं केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं. :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा.

   (2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए बगैर ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे.

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद संदर्भित नियमों के रूप में जाना जाता है), विनियम 27 में नोट के स्थान पर निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

   नोट 1:- दिनांक 01 नवम्बर 2012 से, पेंशन योजना में शामिल वेतनमान श्रेणी में स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के पेंशन राशि की गणना करने हेतु उनकी वास्तविक सेवा अर्हक सेवा के रूप में ली जाएगी न कि यथानुपातिक.

नोट 2 :- वास्तविक सेवा अथवा अर्हक सेवा की गणना भर्ती अथवा वेतनमान में स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की तारीख अथवा 01 सितम्बर, 1978 (जो भी बाद में हो) से की जाएगी.

3. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (ई) के बाद, 'निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा:-

(एफ) 01 नवम्बर 2012 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत अंशकालिक कर्मचारी को छोडकर, अन्य कर्मचारी को दो हजार सात सौ पचासी रुपये प्रति माह, अंशकालिक कर्मचारी जो वेतनमान का 1/3 भाग वेतन के रूप में पाता हो, को नौ सौ बत्तीस रुपये प्रति माह, अंशकालिक कर्मचारी जो वेतनमान का 1/2 भाग वेतन के रूप में पाता हो, को एक हजार तीन सौ रुपये प्रति माह और अंशकालिक कर्मचारी जो वेतनमान का 3/4 भाग वेतन के रूप में पाता हो, को दो हजार छियानबे रुपये प्रति माह, जहां अंशकालिक कर्मचारी 01 नवम्बर 2012 को अथवा बाद में सेवानिवृत हुए हो.

4. इन विनियमों के विनियम 40 में :-

(ए) उप – विनियम (1) में, --

(i) खंड (बी) में, पहले उपबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित होगा जो निम्नानुसार है :--

"बशर्ते पुत्र एवं पुत्री (विधवा अथवा तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी अथवा अनुमत नहीं होगी जब पात्र पुत्र अथवा पुत्री सरकार में अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार में अथवा स्व-रोजगार इत्यादि से प्रतिमाह रुपये दस हजार से अधिक अर्जित करना प्रारंभ कर देता/देती है." ;

(ii) खंड (सी) हेतु, निम्न खंड प्रतिस्थापित होगा जो निम्नानुसार हैं :-

"(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी अथवा अनुमत नहीं होगी जबकि सरकार में अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार से अथवा स्व-रोजगार इत्यादि से माता-पिता में से किसी एक की आय अथवा माता-पिता दोनों की सकल आय रुपये दस हजार प्रतिमाह से अधिक होती है.";

(बी) उप विनियम (4) में, --

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (v) के बाद निम्न उप-खंड जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार हैं : --

"(vi) अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों में जो नवम्बर, 2012 के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात् सेवानिृत्त हुए हैं या मर गए हैं के संबंध में प्रतिमाह रुपये अठारह हजार पांच सौ अड़सठ मात्र",

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्न उप-खंड जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार है :--

"(vi) अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों में जो नवम्बर 2012 के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात) सेवानिवृत्त हुए हैं या मर गए हैं के संबंध में प्रतिमाह रुपये अठारह हजार पांच सौ अड़सठ मात्र",

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (v) के बाद निम्न उप-खंड जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार हैं : --

"(vi) अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों में से जो नवम्बर 2012 के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं या मर गए हैं के संबंध में प्रतिमाह रुपये नौ हजार दो सौ चौरासी मात्र".

5. कथित विनियमों के अनुबंध II में, खंड (4) में, दुसरे उपबंध के पश्चात् निम्न उपबंध जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार हैं :--

" जबकि यह भी कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो नवम्बर 2012 के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई भत्ता 1960=100 की श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तिमाही औसत में 4440 बिन्दुओं के ऊपर प्रत्येक चार बिन्दुओं के बढ़ने पर देय अथवा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा और प्रत्येक कथित चार बिन्दुओं हेतु महंगाई भत्ते में ऐसी बढ़त अथवा गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी.

6. कथित विनियम में अनुबंध III में, खंड (ई) के पश्चात निम्न खंड जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार हैं :--
"(एफ़) नवम्बर 2012 के प्रथम दिन को उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारियों से अन्य कर्मचारी (अधिकारी तथा पंचाट कर्मचारी दोनों) के संदर्भ में:

प्रति माह वेतन (बेसिक)	**मासिक परिवार पेंशन की राशि**
₹ 11,100/- तक	बेसिक वेतन का 30% परिवार पेंशन का बेसिक होगा और भविष्य निधि अंशदान की गणना में लिए जाने वाले परंतु महंगाई भत्ता की गणना में न लिए जाने वाले भत्तों का 30 % अतिरिक्त बेसिक परिवार पेंशन होगा. बशर्तें बेसिक तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन की सकल राशि न्यूनतम ₹2785/- प्रति माह हो.
₹ 11,001/- से ₹ 22,200/- तक	बेसिक वेतन का 20% परिवार पेंशन का बेसिक होगा और भविष्य निधि अंशदान की गणना में लिए जाने वाले परंतु महंगाई भत्ता की गणना में न लिए जाने वाले भत्तों का 20 % अतिरिक्त बेसिक परिवार पेंशन होगा. बशर्तें बेसिक तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन की सकल राशि न्यूनतम ₹3422/- प्रति माह हो.
₹ 22,220/- से अधिक	बेसिक वेतन का 15% परिवार पेंशन का बेसिक होगा और भविष्य निधि अंशदान की गणना में लिए जाने वाले परंतु महंगाई भत्ता की गणना में न लिए जाने वाले भत्तों का 15 % अतिरिक्त बेसिक परिवार पेंशन होगा. बशर्तें बेसिक तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन की सकल राशि न्यूनतम ₹4448/- प्रति माह तथा अधिकतम ₹9284/- प्रति माह होगी.

स्पष्टिकरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम जो पूर्वप्रभावी रूप से लागू किए गए हैं, सम्बंधित बैंकों द्वारा इस सम्बंध में दिए गए विशिष्ट अधिदेशों के आधार पर, सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बंकों के शीर्ष स्तरीय कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित समझौते और संयुक्त नोट के सहमत नियमों एवं शर्तों के अनुरूप है. अतः ऐसे पूर्वप्रभावी परिणाम से किसी भी व्यक्ती के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा.

पॉपीं शर्मा, महाप्रबंधक-मासंवि

[विज्ञापन-III/4/असा./479/2023-24]

नोट : मूल विनियम भारत सरकार के राज-पत्र में अधिसूचना केका/कार्मिक/पेंशन/95-96/278, दिनांक 29 सितंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित तथा अंतिम संशोधन अधिसूचना केका/कार्मिक/पेंशन/2017-18/444, दिनांक 20 सितंबर, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं.

CENTRAL BANK OF INDIA

(Human Resources Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2023

F. No. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India, after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Central Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023.

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 27, for the note, the following note shall be substituted; *namely:-*

''**Note 1:** With effect from 1st November 2012, for the purpose of calculating the amount of pension in respect of permanent part-time employees in scale wages who are covered by the Pension Scheme, their actual service shall be reckoned for qualifying service and not pro-rata.

Note 2: The actual service or qualifying service shall be calculated from the date of recruitment or appointment as permanent part-time employee in scale wages or from 1st September, 1978, whichever is later.

3. In regulation 36 of the said regulations, after clause (e),the following clause shall be inserted, namely:-

(f) rupees two thousand seven hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee retired on or after 1st day of November 2012, rupees nine hundred and thirty two per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees one thousand three hundred and ninety-seven per month in respect of a part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees two thousand and ninety-six per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2012".

4. In Regulation 40 of the said regulations-

(a) in sub-regulation (1)

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted,namely:-

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees ten thousand per month from employment in Government or private sector or self employment, etc. ",

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents, or the aggregate income of both the parents from employment in Government or private sector or self-employment, exceeds rupees ten thousand per month.",

(b) in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired on or died on or after 1st day of November 2012.",

(ii) in clause (b), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired on or died on or after 1st day of November 2012.",

(iii) in clause (c), after the sub-clause (v), following sub-clause shall be inserted, namely:-

(vi) nine thousand two hundred and eighty-four rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired on or died on or after 1st day of November 2012.".

5. In Appendix II to the said regulations, in clause (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided also that in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 percent of basic pension".

6. In Appendix III to the said regulations, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely"-

"(f) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after 1st day of November 2012:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
Upto Rs. 11,100	30% of the `Pay' shall be the basic family pension and additional 30% of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2785 per month.
Rs. 11,101 to Rs. 22,200	20% of the `Pay' shall be basic family pension and additional 20% of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 3422 per month.
Above Rs. 22,200	15% of the `Pay' shall be the basic family pension and additional 15% of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.4448 per month and maximum of Rs. 9284 per month.

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given restrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlement and Joint Note signed between the Indian Bank's Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' association of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

POPPY SHARMA, General Manager-HCM

[ADVT.-III/4/Exty./479/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, vide notification number CO/PRS/PENSION/95-96/278, dated the 29th Septemer 1995 and lastly amended, vide notification number CO:HRD:PEN:444, dated the 1st September 2017 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, dated the 20th September 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.13 19:27:38 +05'30'